न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 शिवपुरी R 2645-III/15

पूनम पुत्र पन्नालाल नाई, निवासी-किले के पीछे, वार्ड नं. 14, खनियाधाना, शिवपुरी

..... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. सौकत पुत्र मोहम्मद अली, निवासी-खनियाधाना, शिवपुरी
2. म0प्र0 शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता अन्तर्गत प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2649–तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–1–2015	आवेदक अभिभाषक श्री कुवंरसिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक कं 2 शासन की ओर से पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क श्रृवण किए गए। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार खनियाधाना के प्र0कं0 155/13–14/बी–12 में पारित आदेश दिनांक 9–4–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध निगरानी न होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए थी। परन्तु आवेदक अभिभाषक द्वारा ऐसा न कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः आवेदक भू–राजस्व संहिता में निहित प्रावधानों के अनरूप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। 4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रस्तुत	

	करने के बाद इस न्यायालय में हुये समय की गणना अवधि में न किये जाने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया। अतः आवेदक अभिभाषक का यह अनुरोध स्वीकार करते हुये दिनांक 21–8–14 से आज दिनांक तक की अवधि को समय–सीमा में मान्य करने के निर्देश दिये जाते हैं। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	